

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0031

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

19/12/2023 15:56 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/12/2023 Time (समय): 15:56 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 19/12/2023 15:56 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 90 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): कैथल, जिला कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक सुबे सिंह

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1969

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	धर्मबीर		Father's Name: जयकिशन	1. गांव सिरटा, तहसील व जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	राजेश कुमार		Father's Name: खजान चन्द	1. डिफेंस कालोनी, करनाल रोड, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
3	नवीन कुमार		Father's Name: रघुबीर सिंह	1. वार्ड न 11, नजदीक मैन बाजार, असन्ध करनाल KARNAL, HARYANA, INDIA
4	हुकम चन्द गुप्ता		Father's Name: कलीराम	1. फ्लैट न -ए 301, हवेलिया वेलेनोवा पार्क सेंटर, टैकजोन -4 ग्रैटर नोयडा, वैस्ट यु0पी0GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल तहरीर इस प्रकार से है:-

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक न0 01 दिनांक 07.02.2020 पंचकुला (भाग कैथल) मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 38/8/2019-3-चौ-I दिनांक 27.01.2020 की अनुपालना में महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 1897/आई-1/ए.सी.बी.(ह.) दिनांक 07.02.2020 अनुसार पंजीकृत होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला मण्डल, पंचकुला के डायरी क्रमांक 769-74/ए.सी.बी./पंचकुला दिनांक 21.07.2020 अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी।

जिसमें आरोप था कि वर्ष 2012-2013, 2013-14 व 2014-15 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारी/कर्मचारियों व कुछ प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा आपस में मिलिभगत करके फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों के माध्यम से सरकारी राशि का गबन करने बारे।

जांच से पाया गया कि जिला कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कैथल द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012-2013 में नौ (9) सैक्शने (स्वीकृतियां) राशि 1,97,30,820.00 /-रु0, 894 छात्र/छात्राओं की, वर्ष 2013-2014 में दस (10) सैक्शने (स्वीकृतियां) राशि 86,31,822.00/-रु0, 561 छात्र/छात्राओं व वर्ष 2014-2015 में दस (10) सैक्शने (स्वीकृतियां) राशि 86,31,822.00/-रु0 470 छात्र/छात्राओं अर्थात उपरोक्त शैक्षणिक स्तर में उनेतीस (29) सैक्शने (स्वीकृतियां) करके कुल राशि 4,26,35,275/-रु0, स्वीकृत की गई।

जांच से पाया गया कि वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में राजेश अत्री वासी अमरगढ गामडी कैथल व धर्मबीर शर्मा वासी गांव सिरटा जिला कैथल द्वारा दिल्ली अस्पताल, पदमा सिटी मॉल वाली गली कैथल में कैरियर ऐजुकेशन गार्डिन्स (CEG) के नाम से सैंटर खोलकर छात्र/छात्राओं के हरियाणा राज्य व बाहरी राज्यों के शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कोर्सेस में दाखिला करवाने के लिए इशतहार जारी करवाये गये। इशतहारों से जिला कैथल व अन्य जिलों के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा उपरोक्त से सम्पर्क किया गया, जिस पर उपरोक्त CEG के संचालको द्वारा जिला कैथल के छात्र/छात्राओं से 1000/-रुपये से 3000/-रुपये तक की कन्सलटेन्सी फीस व छात्र/छात्राओं के दस्तावेज यह कहकर प्राप्त कर लिए कि आपके विभिन्न कोर्सेस में पंजाब राज्य के शिक्षण संस्थानों में दाखिला करवाया जाएगा।

उपरोक्त के द्वारा छात्र/छात्राओं के दाखिला हेतु अपने CEG NR Delhi Hospital Padma City Mall Wali Gali Kaithal सैन्टर के फर्जी पते पर बैंक खाते खुलवाने के लिए आक्सीजन एजेंसी द्वारा SBI बैंक मिनी सचिवालय कैथल के लिए अर्थोराईज किए गए Customer Service Point (CSP) नवीन शर्मा पुत्र श्री रघुबीर सिंह निवासी वार्ड न0 11, नजदीक मेन बाजार असन्ध, जिला करनाल से तथा हुकम चन्द गुप्ता तत्कालीन उप प्रबंधक लेखा भारतीय स्टेट बैंक मिनी सचिवालय कैथल, जिसके द्वारा बैंक के जारी दिशा-निर्देशों अनुसार उपरोक्त बैंक खातों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन करके ऐक्टिवेट किए जाने थे, परन्तु CSP नवीन कुमार द्वारा बैंक खाते खोलते समय CEG उपरोक्त संचालकों से प्राप्त किए गए दस्तावेजों की वैरीफिकेशन किए बिना CEG के उपरोक्त द्वारा एक ही पते पर नवीन कुमार CSP व हुकमचन्द गुप्ता से मिलीभगत करके अपने-अपने मोबाईल नम्बर देकर छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में आने वाली छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचना व पास बुक, ATM/Welcome Kit इत्यादि स्वयं प्राप्त करने व छात्रवृत्ति हड़पने की बदनियत से छात्र/छात्राओं के 386 छात्र/छात्राओं के बैंक खाते खुलवाये गये।

इसके उपरांत उपरोक्त सैन्टर के संचालक धर्मबीर शर्मा व राजेश अत्रेय द्वारा अपने सैन्टर उपरोक्त के पते पर खुलवाए गए बैंक खाते वाले छात्र/छात्राओं के वर्ष 2013-2014 में पंजाब राज्य के निम्न शिक्षण-संस्थानों में निम्न छात्र/छात्राओं के A. Saint Sahara School of Nursing, Mansa Road, Kotshamir, Bathinda(Pb.):-(1) Shiv Kumar S/o Sh. Ram Parsar R/o Rajound Kaithal, (2) Amit Kumar S/o Sh. Rishal Singh R/o Kathwar Kaithal, (3) Chand Ram S/o Sh. Karam Chand R/o Sanghan Kaithal, (4) Satpal S/o Sh. Joginder R/o Banehra KAITHAL, (5) Pardeep kumar S/o Sh. Mahender Singh R/o Sajuma Kaithal, (6) Shyam Lal S/o Sh. Miyan Singh R/o Sajuma Kaithal, (7) Ashok kumar S/o Sh. Phool kumar R/o Arjun NAGAR kaithal, (8) Shamsheer singh S/o Sh. Ajmer R/o Rajound Kaithal, (9) Rakesh kumar S/o Sh. Kartar singh R/o Kutabpur Kaithal, (10) Sandeep S/o Sh. Randhir R/o Rajound Kaithal, (11) Rakesh kumar S/o Sh. Banarsi Das R/o Ward no 16 Kaithal, (12) Sukha Ram S/o Sh. Safi Ram R/o Banehra KAITHAL, (13) Subhendu Mehra S/o Sh. Balbir Singh R/o Kutabpur Kaithal, (14) Ajay kumar S/o Sh. Rampal Singh R/o Rajound Kaithal, (15) Sandeep kumar S/o Sh. Dana Ram 15 छात्र/छात्राओं की, Mata Saraswati Institute of Nursing Education College of Nursing Ludhiana में (1) Angrej Ram S/o Sh. Mehar Chand R/o Kangthali Kaithal, (2) Sunil kumar S/o Sh. Om Parkash R/o Dhons Kaithal, (3) Vinod kumar S/o Sh. Mahavir R/o Kangthali Kaithal, (4) Rakesh kumar S/o Sh. Bhim Singh R/o Kurar Kaithal, (5) Suresh Kumar S/o Sh. Mange Ram R/o Chandana KAITHAL, (6) Baljeet S/o Sh. Kitab Singh R/o Diwal Kaithal, (7) Amrit Lal S/o Sh. Bachan Singh R/o Jakhoul Kaithal, (8) Krishan Kumar S/o Sh. Ruldu Ram R/o Sinand Kaithal, (9) Balwan S/o Sh. Lahri Singh R/o Songal kaithal, (10) Dinesh Kumar S/o Sh. Dalbir R/o Kheri Simbalwali Kaithal, (11) Deepak S/o Sh. Ram Kumar R/o Balraj Nagar KAITHAL, (12) Jagroop Singh S/o Sh. Veerbhan Singh R/o Kallar Majra Kaithal, (13) Vakil Singh S/o Sh. Jagga Ram R/o Gaggarpur Kaithal, (14) Bhalaki Ram S/o Sh. Mahinder Singh R/o Gaggarpur Kaithal, (15) Ram S/o Sh. Darshan Ram R/o Gaggarpur Kaithal, (16) Kuldeep Kumar S/o Sh. Pala Ram R/o Roheria Kaithal, (17) Ranjeet Singh S/o Sh. Suchha Singh R/o Guhla Kaithal के 17 छात्र/छात्राओं की व Gurukul Vidyapeeth Institute of Engineering Technology, Rajpura Patiala में (1) Sushil kumar S/o Sh. Jagdish R/o Patti Gadar Kaithal, (2) Surender kumar S/o Sh. Sube Singh R/o Ambedkar Nagar KAITHAL, (3) Sunil Dutt S/o Sh. Suresh Kumar R/o Serdha Kaithal के 3 छात्र की SC वर्ग के तथा इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014-2015 में पंजाब राज्य के Aryans Institute of Nursing, Patiala में (1) Sonu S/o Sh. Jai Bhagwan R/o Rajound, (2) Surinder Kumar S/o Sh. Muni Ram R/o Rajound के 02 छात्र/ छात्राओं की, Saraswati Institute of Nursing, Bathinda में (1) Hardeep Kaur S/o Sh. Amrik Singh R/o Chandlana के 01 छात्र, Vidya Sagar College of Nursing, Mansa में (1) Nirmla Devi S/o Sh. Pirthi Singh R/o Kalayat, (2) Neeru Devi S/o Sh. Jogi Ram R/o Pharal, (3) Pinki Rani S/o Sh. Suresh Kumar R/o Guhla, (4) Mamta Rani S/o Sh. Ishwar Chand R/o Serta, (5) Anu Kumari S/o Sh. Ramesh Kumar R/o Kichana, (6) Sunita S/o Sh. Rajbir R/o Bhana के 06 छात्र / छात्राओं की, Aryans Group of College, Rajpura में (1) Vikram Singh S/o Sh. Sube Singh R/o Barsana, (2) Mukhtiar Ram S/o Sh. Sunatta Ram R/o Kharakan, (3) Deepak Kumar S/o Sh. Pala Ram R/o Rajound, (4) Sinder Pal S/o Sh. Mange Ram R/o Kheri Gulam Ali, (5) Sandeep S/o Sh. Prem Singh R/o Rajound, (6) Moti Lal S/o Sh. Sunder Singh R/o Deodh Kheri, (7) Pawan Kumar S/o Sh. Bhana Ram R/o Rajound, (8) Ram Niwas S/o Sh. Balle Ram R/o Kutubpur, (9) Sonu S/o Sh. Jai Bhagwan R/o Rajound, (10) Surinder Kumar S/o Sh. Muni Ram R/o Rajound, (11) Kuldeep S/o Sh. Ram Parsad R/o Rajound के 11 छात्र / छात्राओं की, Bai Gurdash Nursing College, Patiala में (1) Renu Devi S/o Sh. Sube Singh R/o Haripura, (2) Sunita S/o Sh. Om Parkash R/o Haripura, (3) Sujaita S/o Sh. Kamal Singh R/o Habri, (4) Kusum Devi S/o Sh. Kashmir Lal R/o Kaithal के 04 छात्र / छात्राओं की, Guru Nanak School of Nursing, Mansa में (1) Usha Kumari S/o Sh. Balraj R/o Kaithal, (2) Meena Kumari S/o Sh. Pura Ram R/o Pharal, (3) Aarti Devi S/o Sh. Pala Ram R/o Pharal, (4) Paman Devi S/o Sh. Jassa Ram R/o Jnedpur के 04 छात्र / छात्राओं की, Meera School of Nursing, Mansa में (1) Paramjeet Kaur S/o Sh. Kalu Ram R/o Chaba, (2) Karamjeet Kaur S/o Sh. Krishan Kumar R/o Dhons, (3) Daljeet Kaur S/o Sh. Maghar Singh R/o Dhaba, (4) Mafi Devi S/o Sh. Balwan R/o Sirta, (5) Pinki S/o Sh. Ramesh Chand R/o Dheraru, (6) Gurmeet Kaur S/o Sh. Ishwar Singh R/o Dulyani, (7) Santosh Kumari S/o Sh. Raj Kumar R/o Majri, (8) Renu Devi S/o Sh. Satpal R/o Kasan, (9) Sunita Rani S/o Sh. Rampal R/o Geong, (10) Buta Ram S/o Sh. Dhana Ram R/o Majri, (11) Bachan Singh

S/o Sh. Sate Ram R/o Kharakan, (12) Neeraj Kumar S/o Sh. Bishan Dass R/o Bhuna, (13) Gyan Chand S/o Sh. Gama Ram R/o Kallar Majra, (14) Ravi Kumar S/o Sh. Ram Chander R/o Kangthali, (15) Pawan S/o Sh. Ramesh Kumar R/o Padla के 15 छात्र / छात्राओं की, Bhagwati School of Nursing, Mansa में (1) Parveen Rani S/o Sh. Pyara Lal R/o Rajound, (2) Soniya S/o Sh. Baljeet R/o Rajound, (3) Neha Rani S/o Sh. Ramkishan R/o Faral, (4) Jyoti Rani S/o Sh. Jarnail Singh R/o Kangthali, (5) Rani Devi S/o Sh. Bhira Ram R/o Sanghan, (6) Poonam Devi S/o Sh. Karan Singh R/o Munnarahedi, (7) Seema Devi S/o Sh. Mange Ram R/o Jajampur, (8) Meena Devi S/o Sh. Jai Narayan R/o Karoda के 08 छात्र / छात्राओं की, Malwa School of Nursing, Mansa में (1) Sohni Devi S/o Sh. Sami Singh R/o Theh Newal, (2) Sonia Rani S/o Sh. Mohan Lal R/o Kyorak, (3) Pooja Rani S/o Sh. Ramesh Chand R/o Baba Ladana के 03 छात्र / छात्राओं की, Vidya Sagar College of Nursing, Mansa में (1) Pinki S/o Sh. Bhan Singh R/o Haripura, (2) Meena S/o Sh. Jogi Ram R/o Pabnawa, (3) Swarnjeet Kaur S/o Sh. Sada Ram R/o Uralana, (4) Rajji Devi S/o Sh. Jarnail Singh R/o Majri के 04 छात्र / छात्राओं की, Shiv Shakti School of Nursing, Mansa में (1) Pooja S/o Sh. Krishan Kumar R/o Kaithal, (2) Akwinder Kaur S/o Sh. Jile Singh R/o Faral के 02 छात्र / छात्राओं की sc वर्ग के कुल 91 छात्र/छात्राओं के शिक्षण संस्थानों में GNM/ANM कोर्सों में दाखिला होना दर्शाया गया।

जांच से पाया गया कि शैक्षणिक स्तर वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में CEG NR Delhi Hospital Padma City Mall Wali Gali Kaithal के संचालक राजेश अत्रेय व धर्मबीर शर्मा द्वारा छात्र/छात्राओं के फर्जी पते पर खुलवाए गए बैंक खाते वर्ष 2013-14 में 35 छात्र/छात्राओं के तथा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014-15 में 56 छात्र/छात्राओं के कथित फर्जी GNM/ANM कोर्सों में दाखिला दर्शाकर, छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म जिन पर कालेजों की जाली स्टैम्प (मोहर) लगाकर, प्रिंसिपल के जाली हस्ताक्षर करके व छात्र/छात्राओं के शिक्षण संस्थानों के फर्जी हाजिरी रजिस्टर तैयार करके, छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म मय दस्तावेज कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी कैथल में स्वयं जमा करवाए गए।

जांच से पाया गया कि ACS अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1/2015/13751-76 दिनांक 10.07.2015 के अनुसार जिला कल्याण अधिकारी अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बाहरी राज्यों के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की वैरीफिकेशन मौके पर जाकर की जानी आवश्यक थी, परन्तु श्री बलवान सिंह तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल द्वारा बाहरी राज्यों के शिक्षण संस्थानों की मौके पर जाकर वैरीफिकेशन न करके केवल दस्तावेजों की वैरीफिकेशन करके और उनमें अधूरे दस्तावेजों के सम्बन्ध में पंजाब राज्य के शिक्षण संस्थानों से पत्राचार करके दस्तावेजों की कागजी पूर्ति करने उपरांत स्वीकृतियां (सैंक्शन) तैयार करके शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013-2014 व वित्तिय वर्ष 2014-2015 में स्वीकृति संख्या 4 के पत्र क्रमांक 1618-1627 दिनांक 27.08.2014 व स्वीकृति संख्या 5 के पत्र क्रमांक 2093-2100 दिनांक 26.11.2014 तथा इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014-2015 व वित्तिय वर्ष 2015-2016 में स्वीकृति संख्या 2 के पत्र क्रमांक 1035-39 दिनांक 16.06.2015, स्वीकृति संख्या 4 के पत्र क्रमांक 1378-82 दिनांक 14.08.2015, पत्र क्रमांक 1546-50 दिनांक 21.09.2015 के अनुसार जिला कैथल के SC वर्ग के कुल 91 उपरोक्त छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति की कुल 44,59,760/- रुपये राशि उपरोक्त CEG सैंटर संचालक धर्मबीर शर्मा व राजेश अत्रेय द्वारा खुलवाये गए फर्जी पते पर बैंक खातों में जारी कर दी गई।

उपरोक्त CEG सैंटर संचालक धर्मबीर शर्मा व राजेश अत्रेय द्वारा 91 छात्र/छात्राओं के बैंक खातों से उपरोक्त छात्रवृत्ति राशि को Customer Service Point (CSP) नवीन शर्मा से मिली भगत करके उसके CSP की बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से राशि कैश के रूप में निकलवाकर, छात्र/छात्राओं के ATM स्वयं प्रयोग करके राशि निकालकर तथा अन्य छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति को CSP नवीन कुमार के द्वारा अपने SBI बैंक के खाता सं0 34947077113 व 33925108080 में ट्रान्सफर करवाकर और दोनों बैंक खातों के चैक न0 44280, 442804, 442809, 4428020, 618372, 618377, 618381 व अन्य चैकों/NEFT के माध्यम से CEG के संचालक धर्मबीर तथा चैक न0 4428010, 4428011, 618371 व अन्य चैकों/NEFT के माध्यम से CEG संचालक राजेश अत्रेय द्वारा उपरोक्त 91 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि कुल 44,59,760/- रुपये स्वयं हड़पी जानी पाई गई।

इस सम्बन्ध में जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के पत्र क्रमांक 2288 दिनांक 10.11.2023 अनुसार कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। जिस पर कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 18930/आई-1/भ.नि.ब्यू.(ह0) दिनांक 20.11.2023 के अनुसार उपरोक्त CEG सैंटर संचालक धर्मबीर शर्मा, राजेश अत्रेय, नवीन कुमार CSP व हुकमचन्द गुप्ता तत्कालीन उप प्रबंधक लेखाकार के विरुद्ध धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा0द0सं0 तथा 13(1)C, 13(1)d r/w 13(2) PC Act 1988 के

तहत अभियोग अंकित करने के तथा श्री बलवान सिंह तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल के विरुद्ध अनुसंधान के दौरान अपराध में सलिप्तता पाए जाने पर धारा 17ए पी.सी. एक्ट 1988 के अन्तर्गत अनुमति लेने उपरांत आगामी कार्यवाही किए जाने के आदेश प्राप्त हुए।

अतः इस सम्बन्ध में CEG सेंटर संचालक धर्मबीर पुत्र श्री जयकिशन वासी गांव सिरटा तहसील व जिला कैथल व राजेश कुमार पुत्र श्री खजान चन्द वासी डिफेंस कालोनी, करनाल रोड कैथल द्वारा नवीन कुमार Customer Service Point (CSP) पुत्र श्री रघुबीर सिंह वासी वार्ड नं० 11 नजदीक मेन बाजार, असन्ध जिला करनाल तथा हुकम चन्द गुप्ता, तत्कालीन उप प्रबंधक लेखाकार, भारतीय स्टेट बैंक, मिनी सचिवालय कैथल, (सेवानिवृत्त) पुत्र श्री कलीराम वासी Flat No. A-301 हवेलिया वेलेनोवा पार्क सैक्टर टैकजोन-4 ग्रेटर नोएडा वैस्ट (यू.पी.) से मिली भगत करके शैक्षणिक सत्र 2013-14 व 2014-15 में कुल 91 छात्र/छात्राओं के बैंक खाते अपने CEG सेंटर के उपरोक्त फर्जी पते पर, अपने-अपने मोबाईल नम्बर देकर बैंक खाते खुलवाकर, बैंक खातों की Welcome Kit (Passbook/ATM) प्राप्त कर, पंजाब राज्य के उपरोक्त शिक्षण संस्थानों में फर्जी GNM/ANM कोर्सों में दाखिला दर्शाकर, छात्रवृत्ति के आवेदन फार्मों पर कालेजों की जाली स्टैम्प (मोहर) लगाकर व प्रिंसिपल के जाली हस्ताक्षर करके तथा छात्र/छात्राओं के शिक्षण संस्थानों में उपरोक्त अवधि के फर्जी हाजिरी रजिस्टर तैयार करके व छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म मय फर्जी दस्तावेज कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी कैथल में जमा करवाकर तथा उपरोक्त CSP की बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से राशि कैश के रूप में, चैक व NEFT के माध्यम से स्वयं के बैंक खातों में ट्रांसफर व ATM से कुल 91 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि कुल 44,59,760/- रुपये हड़पकर तथा हरियाणा सरकार व छात्र/छात्राओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए उपरोक्त सभी के विरुद्ध जेर धारा 406,409,420,467,468,471 -120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)C, 13(1)d r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान श्री बलवान सिंह तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल या किसी अन्य की सलिप्तता पाई जाती है, उसे भी देख लिया जाए। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक-एक प्रति इलाका मैजिस्ट्रेट कैथल, अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा सरकार तथा अन्य सम्बन्धित/उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे।

Sd. Sube Singh

(सुबे सिंह)

निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

उप केन्द्र कैथल।

दिनांक 15.12.2023

अज थाना – इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक सूबे सिंह, भ०नि०ब्यूरो उप केन्द्र कैथल मय पत्र क्रमांक 393/भ०नि०ब्यूरो (कैथल) दिनांक 15/12/2023 डायरी क्रमांक 18/12/2023, पत्र क्रमांक 20829/I-1/ACB (H) दिनांक 13/12/2023 डायरी क्रमांक 1550 दिनांक 14/12/2023 कार्यालय महानिदेशक भ०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला बर खिलाफ CEG सेंटर संचालक धर्मबीर पुत्र श्री जयकिशन वासी गांव सिरटा तहसील व जिला कैथल व राजेश कुमार पुत्र श्री खजान चन्द वासी डिफेंस कालोनी, करनाल रोड कैथल द्वारा नवीन कुमार Customer Service Point (CSP) पुत्र श्री रघुबीर सिंह वासी वार्ड नं० 11 नजदीक मेन बाजार, असन्ध जिला करनाल तथा हुकम चन्द गुप्ता, तत्कालीन उप प्रबंधक लेखाकार, भारतीय स्टेट बैंक, मिनी सचिवालय कैथल, (सेवानिवृत्त) पुत्र श्री कलीराम वासी Flat No. A-301 हवेलिया वेलेनोवा पार्क सैक्टर टैकजोन-4 ग्रेटर नोएडा वैस्ट (यू.पी.) बाजुर्मा धारा 406,409,420,467,468,471 -120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)C, 13(1)d r/w 13(2) PC Act. 1988 का होना पाया जाने पर व इसने अतिरिक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान श्री बलवान सिंह तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल या किसी अन्य की सलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख लिये जाने बारे थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा न. 31 दिनांक 19/12/2023 धारा 406,409,420,467,468,471 -120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)C, 13(1)d r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना भ०नि०ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा कि स्पेशल रिपोर्ट बादस्त ई.ए.एस.आई. बीरबल न. 1368/करनाल के सेवा में इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु आने पर हवाले निरीक्षक वीरभान न. 172/के.आर. भ०नि०ब्यूरो अम्बाला के हवाले की जायेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण/सम्बन्धित की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। इन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया

गया। यह अभियोग निरीक्षक वरिन्द्र न. सी.पी.15 अ०नि०ब्यूरो अम्बाला की हाजरी में दर्ज किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): birbhan Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 172KR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of
Police)

No. (सं.): DSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7
संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known /
seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विक्तियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात
/ देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)